निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 532) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं0 08/आरोप–01–80/2015,सा०प्र०—1129

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 जनवरी 2017

श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–462/99, 112/04, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–276, दिनांक 28.03.2007 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अनियमित ढ़ग से चयन कर राशि का विचलन करना एवं स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के आधारभूत संरचना मद से योजना के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया नियम के विपरीत करने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित किये गये। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में आरोप, प्रपत्र 'क' गठित कर श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। लम्बी अवधि तक श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया एवं बार–बार अभिलेख/कागजात माँगकर मामला लंबित रखा गया। श्री प्रसाद इसी बीच दिनांक 31.03.2007 को सेवानिवृत्त हो गये। तदुपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत संकल्प ज्ञापांक–7773, दिनांक 10.08.2010 एवं शुद्धि–पत्र ज्ञापांक–8479, दिनांक 30.08.2010 के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–367 (अनु०) दिनांक 29.07.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें सभी आरोप प्रमाणित बतलाये गये। विभागीय पत्रांक–11570, दिनांक 10.08.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री प्रसाद से बचाव वयान/लिखित अभिकथन माँगा गया जिसके अनुपालन में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 24.08.2015) समर्पित किया।

3. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने दिनांक 25.02.2006 को उप विकास आयुक्त, जहानाबाद का पदभार ग्रहण करने के उपरांत मनमाने ढंग से एस०जी०आर०वाई० के तहत नई योजनाओं की स्वीकृति दी जबकि सिद्धान्त रूप में दिनांक 02.01.2006 से नरेगा के अस्तित्व में आ जाने के कारण एस०जी०आर०वाई० बन्द हो चुकी थी। केवल पूर्व से चल रही परियोजनाओं को ही पूरा करना था। इस आलोक में आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

4. उपर्युक्त वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रसाद के **पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 05 वर्षो तक** करने संबंधी विनिश्चिय पर विभागीय पत्रांक–13426, दिनांक 30.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दी गयी सहमति से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक–2750, दिनांक 21.12.2016 प्राप्त हुआ।

5. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–462/99, 112/04 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :–

(क) **पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती (05 वर्षो तक)।**

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 532–571+10–**डी0टी0पी0।**

Website: http://egazette.bih.nic.in